प्रार्थना पत्र बाज. संख्या 2018/00144,बउनवान श्रीमती भंवरी देवी बनाम गोपाल वगैरह, आदेश दिनांक 20.06.2018.

प्रार्थना पत्र बाजदायरी वास्ते बहस हेतु पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थीगण एवं अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र बताया कि प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री रामदेव गुर्जर हैं, जिन्होने उक्त अपील में दिनांक 06.06.2018 को मुझ अभिभाषक उमेश कुमार को अपनी ओर से उक्त अपील में जरिये ब्रीफ पैरवीकरने हेतु नियुक्त किया था लेकिन दिनांक 06.06.2018 को अन्य कोर्ट में सुनवाई में व्यस्त होने के कारण एवं सहवन से अपील में ब्रीफ नहीं प्रस्तुत कर पायें एव ंना ही स्वंय उपस्थित हो पाया जिसमें प्रार्थीगण/अपीलांटस की कोई गलती नही हैं। उक्त त्रुटि सद्भाविक है जिसे क्षमा किया जा सकता हैं इसलिए उक्त प्रकरण को पुनः लेकर गुणावगुण पर सुनवाई किया जाना आवश्यक हैं ताकि प्रार्थीगण/अपीलांट न्याय से वंचित नहीं हो सकें। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर, न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 06.06.2018 को निरस्त किया जाकर, अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थी 01ने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार कर लिया जावें किन्तु अपील जो न्यायालय के क्षैत्राधिकार की नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अपील में प्रार्थना पत्र अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने बाबत् पर बहस आज ही सुनी जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर, अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार किया जाता हैं। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 06.06.2018 को निरस्त किया जाता हैं एवम् अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।